

परिशिष्ट सूचना

संदर्भ सं.: एपीडा-एपी/9/2025-एपी

दिनांक: 03.04.2025

यह परिशिष्ट सूचना एपीडा पंजीकृत मांस निर्यातकों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश-बैंक गारंटी , टाई अप व्यवस्था और उत्पादन क्षमता अनुपालन के संबंध में दिनांक 21.01.2025 के कार्यालय ज्ञापन (एपीडा/ 160/2024-एपी) और दिनांक 27.03.2025 के परिशिष्ट नोटिस के संदर्भ में है।

इस संबंध में , व्यापार को सुगम बनाने तथा निर्यात की निरंतरता हेतु , उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

1. 02.04.2025 से 16.04.2025 तक एकमात्र विस्तार, मांस इकाइयों के साथ व्यापारी निर्यातकों को जोड़ने/हटाने के लिए पुनर्वैध बैंक गारंटी एवं संशोधित समझौतों को प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा प्रदान की जा रही है।

डॉ. सुधांशु
सचिव